निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1937 (श0)

(सं0 पटना 630) पटना, बुधवार, 10 जून 2015

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

27 मई 2015

सं0 22/नि0सि0(डि0)–14–28/2007/1243––श्री शंकर प्रसाद मंडल, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (आई0 डी0–4451), सोन नहर प्रमंडल, विक्रमगंज की पदस्थापन अवधि में जिला पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा सोन नहर सेवा पथ के कार्यों की गुणवत्ता दयनीय होने का प्रतिवेदन विभागीय आयुक्त एवं सचिव को प्राप्त होने पर निर्माणाधीन नहर सेवा पथ के कार्यों की गुणवत्ता एवं विशिष्टियों की जाँच हेतु आई0 आर0 आई0, खगौल के कार्यपालक अभियंता, प्रशिक्षण प्रमंडल–2 के नेतृत्व में विभागीय स्तर पर एक जाँच दल गठित किया गया। जाँच दल द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग में समर्पित किया गया। जाँच समिति के जाँच फल एवं जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यों की गुणवत्ता के संबंध में स्वतः स्पष्ट एवं आत्मयरित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश मुख्य अभियंता, डिहरी को अभियंता प्रमुख (मध्य) द्वारा दिया गया। जाँच प्रतिवेदन के साथ मुख्य अभियंता, डिहरी के विस्तृत प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गई। तदनुसार प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए चार प्रमंडलों यथा सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमंडल, पीरो, सिंचाई प्रमंडल, नावानगर, सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमंडल, नासरीगंज एवं सोन नहर प्रमंडल, विक्रमगंज के अधीन नहर सेवा पथ के निर्माण में बरती गई अनियमितता के लिए श्री शंकर प्रसाद मंडल, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सोन नहर प्रमंडल, विक्रमगंज के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 में निहित प्रावधान के अनुसार विभागीय कार्यवाही चलाई गई। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की सरकार के स्तर पर समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए श्री शंकर प्रसाद मंडल, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सोन नहर प्रमंडल, विक्रमगंज को तीनों ग्रेड का मेटल 25 से 30 प्रतिशत ओभर साईज पाए जाने के प्रमाणित आरोप के लिए ''दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड'' अधिरोपित करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया। दण्डादेश निर्गत करने के पूर्व बिहार सरकारी सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 में निहित प्रावधान के अनुपालन में श्री मंडल से असहमति के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक 231 दिनांक 01.04.2009 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई। श्री मंडल से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के प्रत्युत्तर की समीक्षोपरान्त मेटल ग्रेड–1 के ओभर साईज पाए जाने के प्रमाणित आरोप के लिए माननीय विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरान्त विभागीय अधिसूचना संख्या 1348 दिनांक 25.11.2009 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गया–

'' एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक''

उक्त संसूचित दण्ड के आलोक में श्री शंकर प्रसाद मंडल द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया जिसे सम्यक विचारोपरान्त विभागीय अधिसूचना संख्या 289 दिनांक 08.03.2011 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।

पुनः श्री मंडल द्वारा उक्त संसूचित दण्ड के आलोक में 15.06.2014 एवं 01.04.2015 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में यह पाया गया कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के तहत दोबारा अपील अभ्यावेदन का प्रावधान नहीं है। अतः नियमानुसार यह विचारणीय नहीं है। समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया कि पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित दण्ड प्रस्ताव ''दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक'' का अनुपालन नहीं हुआ है। अतएव पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या 1348 दिनांक 25.11.2009 को परिमार्जित करते हुए ''एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक'' का दण्ड के बदले ''दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक'' का दण्ड श्री मंडल के विरूद्ध अधिरोपित करने का निर्णय सरकार के स्तर से लिया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री शंकर प्रसाद मंडल, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, विक्रमगंज के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना संख्या 1348 दिनांक 25.11.2009 द्वारा संसूचित ''एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक'' के दण्ड को परिमार्जित करते हुए ''दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक'' का दण्ड अधिरोपित करते हुए संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सतीश चन्द झा,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 630-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in